

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक.....401.....पालीगंज / दिनांक.....08/04/2025.

प्रेषक,

ई0 रवि शंकर कुमार
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी MMGSUY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषय:-

शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत Dulhin Bazar Se Barki Kharwan Hote Hua Bharatpura More tak Path me Profile Correction Ka Karya का प्रशासनिक स्वीकृति की राशि MIS पर अंकित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के पश्चात् विभागीय आदेशानुसार प्रखंड-दुल्हिन बाजार में शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत Dulhin Bazar Se Barki Kharwan Hote Hua Bharatpura More tak Path me Profile Correction Ka Karya विभागीय रूप से कराया गया था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-107/2025- 686 पटना, दिनांक-31.03.2025 द्वारा प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित पथ का प्रशासनिक स्वीकृति की राशि MIS पर अंकित करने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

08/4/25

ई0 रवि शंकर कुमार
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-107/2025 - 686
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 31.03.2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0र0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक अंतर्गत कार्य प्रमंडल, संबंधित कार्य प्रमंडल के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ-7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रु0 264.305 लाख रुपये पर पथवार घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक अंतर्गत संबंधित कार्य प्रमंडल के अधीन कुल 07 योजना के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 में अंकित कुल राशि 264.305 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

क्र. सं.	जिला	कार्य प्रमंडल	प्रमंडल	योजना का नाम	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kaimur	Bhabhua	Bhabhua	Main Road to Circuit House Bhabhua	0.360	11.13100
2	Kaimur	Bhabhua	Bhagwanpur	Construction of Retaining wall in T04 To Kinnar Chola Road	0.203	55.39700
3	Rohtas	Sasaram-I	Sasaram	GT Road To Babura Main Canal Path	0.600	82.71700
4	Rohtas	Bikramganj	Bikramganj	Ara Sasaram RCD Road To Ghushiya Khurd Pokhar Via Utkars Bio Plant	0.315	48.062
5	Bhojpur	Ara	Ara	Dhobha Dhanar RWD Road Via Ghoradchi to Paschim Tola BD Singh House	0.370	27.089
6	Patna	Patiganj	Dulhin Bazar	Dulhin Bazar se Barki Kharwan Hote hue Bharatpura More tak path me Profile correction ka karya	2.165	9.75400
7	Madhubani	Benipatti	Bisfi	Bisfi (Kokila Chowk) to Narsam Via Bhairva Mandir	6.000	30.15500
Total					11.013	264.305

2. मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष - 0107-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 37-4515-00-789-0107, बजट उपबंध-700 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित BOS-3 की राशि 2100.00 करोड़ (700 X 3= 2100) के अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 02.08.2024 को 500 करोड़ तथा दिनांक-22.01.2025 को 2220.00 करोड़ की छूट दी गयी है।

3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, संबंधित कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

11.10.24

4. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-107/2025, दिनांक 10.03.2025 एवं मु0अ0 (अ0उ0)- 4515 - 01-97/2025 दिनांक 21.02.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-107/2025 में दिनांक 31.12.2024 को पृ0-05/टि0 पर प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888/वि0 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888/वि0 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

॥

॥



18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01- 107/2025 के पृ0-06/टि0 पर दिनांक-31.03.2025 को प्राप्त है।

H.K.

विश्वासभाजन
(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव